बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 02/03/2026

सं0–03/आ01–220/2023 I/373883/श्री अवधेश कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सिवान (संप्रति पदस्थापन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, दरभंगा) को विद्यालय आवंटन में शिक्षकों का युक्तिसंगत एकीकरण नहीं किए जाने एवं मुख्यालय के स्तर पर शिक्षकों के पदस्थापन के अंतिम चरण में किये गये सत्यापन के क्रम में वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं किये जाने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री अवधेश कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के कारण आदेश सं0–615 दिनांक 17.11.2023 द्वारा श्री कुमार को **"निंदन"** की शास्ति अधिरोपित की गयी।

3. श्री अवधेश कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विचार आवेदन को पुनर्विलोकन अर्जी के रूप में विचार करते हुए न्यायहित में आदेश सं.–615 दिनांक 17.11.2023 द्वारा इनपर अधिरोपित निंदन की शास्ति को निरस्त किया जाता है।

4. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./–

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ01–220/2023 I/373883/ पटना, दिनांक– 02/03/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै.दा.नि.को.), वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) बिहार राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/श्री अवधेश कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सिवान (संप्रति पदस्थापन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, दरभंगा) तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02/आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 02-03-2026 12:42:31

निदेशक (प्रशासन)

E:\Manish